अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्व साधारण एवं इच्छुक टेण्डर दाताओं को सूचित किया जाता है कि आजमगढ़ वन प्रभाग को कैम्पा एवं वेटलैण्ड विकास योजना के अर्न्तगत वर्ष 2016-17 में कराये जा रहे निर्माण/अन्य कार्यो हेतु निम्नलिखित सामग्रियों की आपूर्ति हेतु मुहरबन्द निविदा दिनांक 15.10.2016 अपरान्ह 12:00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक/कोरियर से आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिनांक अपरान्ह 3:00 बजे प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, आजमगढ़ अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रभागीय कार्यालय में खोली जायेगी। निविदादाता चाहें तो टेण्डर खोलते समय उपस्थित रह सकते है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। निविदा प्रपत्र दिनांक 07.10.2016 से 14.10.2016 तक किसी भी कार्यालय दिवस में रू0 500/- नकद जमा करके अपरान्ह 5:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

क्र0 सं0	सामग्री का विवरण	अनुमानित संख्या (घट बढ़ सकती है)	अर्नेस्ट मनी (लाख में)	विवरण
1	2	3	4	5
1	ईट प्रथम श्रेणी	575000 ईट	3.70	समस्त सामग्री सम्बन्धित स्थल विकास खण्ड रानी की सराय एवं पल्हनी में निर्धारित स्थल पर आपूर्ति की जायेगी। तद्नुसार ही दरें टेण्डर में दर्शायी जाय।
2	ईट द्वितीय श्रेणी (100 क्लास लाल पेटी)	50000 ईट	0.295	
3	सीमेंट 53 ग्रेड	10000 बोरी	3.30	
4	बालू (सफेद)	150.0 घनमीटर	0.075	
5	बालू (मोरंग)	600.0 घनमीटर	0.96	
6	गिट्टी ईट	650.0 घनमीटर	0.84	
7	गिट्टी पत्थर	400.0 घनमीटर	1.00	
8	सरिया	20.0 कुन्तल	0.16	
9	**Interlocking bricks** (80 mm. thick I shaped mechanically compresased inter locking cement concrete pavers block manufactured by high pressure & controlled vibration machine having plan dimension 200X (160+120 mm) with minimum 5 mm.thick topping of O.P. cement mixed with 25% marble powder. The compressive strength of concrete paver blocks shall not be less than 30 MPa & 4.5 Kg./no.	5.0 लाख	7.50	
10	कांटेदार तार	20.0 मै0टन	1.44	

निविदा सम्बन्धी शर्ते

1. सामग्रियाँ अधोहस्ताक्षरी अथवा नियुक्ति पासिंग अधिकारी द्वारा पास की जायेगी और पासिंग के उपरान्त पास सुदा ईट स्वीकार की जायेगी।
2. ठेकेदार को पासिंग हेतु अपने व्यय पर साइट पर सामग्रियॉ उलट-पलट कर दिखानी होगी और पासिंग अधिकारी को दिखा कर संतुष्ट करना होगा। पासिंग के उपरान्त पास सुदा सामग्रियों का चट्ठा लगवाना होगा।
3. निविदा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, आजमगढ़ के नाम पर होनी चाहिए तथा लिफाफे के ऊपर निविदा वास्ते सामग्री आपूर्ति अवश्य लिखा होना चाहिए। उक्त निविदा प्रभागीय कार्यालय में दिनांक 15.10.2016 को अपरान्ह 12:00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक/कोरियर द्वारा प्राप्त होनी चाहिए।
4. निविदा के साथ निर्धारित अर्नेस्ट मनी की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/काल डिपाजिट जो प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, आजमगढ़ के पक्ष में निरूपित हो संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना इसके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. सामग्रियाँ निर्धारित मानक के अनुरूप होनी चाहिए टूटे हुए ईट गणना में मान्य नहीं होगी और न ही टूटी हुई ईट स्वीकार की जायेगी।
6. आपूर्ति आदेश मिलने पर दस दिन के अन्दर आपूर्ति प्रारम्भ करनी होगी तथा बीस दिन के अन्दर आपूर्ति पूर्ण करनी होगी।

Balvant Store Keepar /Tendre

7. आपूर्ति किये जाने वाले सामग्री की मात्रा घट-बढ़ सकती है।

8. निविदा दाता के पास ईट सप्लायर का व्यवसाय करने की समस्त नियम सुसंगत एवं वैधानिक औपचारिकताएं पूर्ण होने के सम्बन्ध में अभिलेख साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना होगा।

9. निविदादाता यदि कोई भागीदार हो तो भागीदारी के समस्त प्रमाण-पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।

10. व्यापार कर पंजीकरण प्रमाण-पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।

11. आय कर की अद्यावधिक रिटर्न पैन कार्ड तथा आयकर क्लीयरेंस के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।

12. निर्धारित समय के अन्दर सप्लाई पूर्ण करनी होगी अन्यथा अधोहस्ताक्षरी को पूर्ण अधिकार होगा कि वे आपूर्ति आदेश निरस्त कर जमानत की धनराशि जब्त कर लें।

13. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, आजमगढ़ को अधिकार होगा कि प्राप्त निविदा की दर निम्न होने के बावजूद भी एक अथवा समस्त निविदा बिना किसी कारण बतायें निरस्त कर दें और टेण्डरदाता का बकाये की धनराशि वापस कर दी जायेगी।

14. ठेकेदार का भुगतान करते समय नियमानुसार बिल से समस्त कर जैसे आयकर, व्यापार कर, स्टाम्प शुल्क व अन्य तत्सम्बन्धी देयों की धनराशि काट ली जायेगी।

15. टेण्डर में निविदादाता को अपना पूर्ण पता स्थायी तथा अस्थायी तथा रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं पैन नम्बर/टैन नम्बर स्पष्ट रूप से अभिलेख सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा टेण्डर स्वीकार नही किया जायेगा।

16. किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर वन विभाग के वन संरक्षक, आजमगढ़ वृत्त, आजमगढ़ निर्णय अन्तिम व सर्व मान्य होगा।

17. निविदा दाताओं को सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में पंजीकृत होना चाहिए।

18. निविदा प्रत्येक विकास खण्ड अलग-अलग ठेकेदार चाहे तो दे सकते है।

19. प्रस्तुत दर में शुल्क एवं कर आदि का विवरण भी देना होगा।

(एस0एन0 मिश्र)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,आजमगढ़।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आजमगढ़।

पत्रांक 712 / 14-1 (टेण्डर), आजमगढ़ 5-10 /2016

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर।
2. वन संरक्षक, आजमगढ़ वृत्त, आजमगढ़।
3. जिलाधिकारी आजमगढ़।
4. समस्त प्रभागीय निदेशक, आजमगढ़ वृत्त आजमगढ़।
5. जिला सूचना अधिकारी, आजमगढ़।
6. समस्त क्षेत्रीय वनाधिकारी, आजमगढ़।
7. N.I.C. आजमगढ़।
8. मानचित्रकार द्वारा कार्यालय अधीक्षक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि टेण्डर की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करायें।
9. कार्यालय अधीक्षक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आजमगढ़।
10. आज दैनिक समाचार पत्र।
11. नोटिस बोर्ड।

(एस0एन0 मिश्र)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,आजमगढ़।

Balvant Store Keepar /Tendre